रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 481] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 1984/पौष 8, 1906
No. 481] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 1984/PAUSA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसंबर, 1984

सा. का. नि. 829 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन कर्मचारी (आचरण) तृतीय संशोधन विनियम, 1984 का संलग्न अनुसूची के अनुसार अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

[एफ. डब्ल्यू. पी. डब्ल्यू./पी. ई. आर!-13/84]

पी. वी. राव, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कांडला पोर्ट कर्मचारी (आचरण) तृतीय संशोधन विनियम, 1984

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्मित निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं :—

कांडला पोर्ट कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1984

(i) इन विनियमों को कांडला पोर्ट कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम 1984 कहा जायेगा।

(ii) ये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

(iii) कांडला पोर्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1964 के विद्यमान विनियम 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

4. "निर्वाचन आदि में भाग लेना"

(1) कोई भी कर्मचारी किसी विधान सभा या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में भाग नहीं लेगा बशर्ते कि:—

(i) कोई भी कर्मचारी जो ऐसे चुनाव में मतदान करने का पात्र है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है परन्तु तब भी वह ऐसा करे तो वह किस प्रकार मत देना चाहता है अथवा किस प्रकार मत दिया जाता है का संकेत नहीं देगा।

(ii) मात्र इसलिए कि किसी कर्मचारी ने उस समय लागू किसी विधि के अधीन या उसे सौंपे गये कर्त्तव्य के उचित निर्वाह हेतु किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता की है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने इस विनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

(2) कोई भी कर्मचारी न तो कोई ऐसा प्रदर्शन करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो भारत की प्रभुसत्ता तथा अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार तथा नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हो अथवा जिसके कारण न्यायालय की अवज्ञा, मानहानि होती हो अथवा जो किसी अपराध को उत्तेजित करने में सहायक हो।

(3) कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे संगठन में सम्मिलित नहीं होगा या उसका सदस्य नहीं बना रहेगा जिसके उद्देश्य या गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता तथा अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हों।

बी. एस. बारोट, सचिव

फुट नोट

1. मुख्य विनियम की जी. एस. आर. संख्या- 303
2. संशोधन विनियम 1979 जी. एस. आर. संख्या 535 तारीख 26-4-1980 (तारीख 26-4-80 की अधिसूचना संख्या पी. डब्ल्यू/पी. ई. के.-52/79 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित)
3. संशोधन विनियम 1980(ता. 14-1-1981 की अधिसूचना संख्या पी० डब्ल्यू /पी इके/25/30 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित)

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1984

G.S.R. 829(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Conduct) Third Amendment Regulations, 1984 as set out in the Schedule attached.

2. The said regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. W. PW|PER-13|84]

P. V. RAO, Jt. Secy.

THE SCHEDULE

The Kandla Port Employees (Conduct) Third Amendment Regulations, 1984.

In pursuance of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby publishes the following regulations made by it in exercise of the powers conferred by Section 28 of the said Act :—

THE KANDLA PORT EMPLOYEES (CONDUCT) AMENDMENT REGULATIONS, 1984

I. These regulations may be called the Kandla Port Employees (Conduct) Third Amendment Regulations, 1984.

II. They shall come into force on the date on which the Central Government's approval to them is published in the official gazette.

III. Replace the existing Regulation 4 of the Kandla Port Employees (Conduct) Regulations, 1964, by the following :—

"4. Taking part in election, 3 etc."

(1) No employee shall take part in an election to any legislature or local authority, Provided that—

(i) An employee qualified to vote at such election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted.

(ii) An employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this regulation by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

(2) No employee shall engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign State, public order, decency or morality or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence.

(3) No employee shall join, or continue to be a member of an association the objects or activities of which are prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality.

(B. S. BAROT)
Secretary.

Foot-Note :

1. G.S.R. No. of the Principal Regulation—303 of 1964.

2. Amendment regulations—1979 G.S.R. No. and date 535 dated 26-4-80. (Published in the Gazette vide notification No. PW|PEK-52|79, dated 26th April, 1980.

3. Amendment regulations—1980 published in the Gazette vide notification No. PW|PEK-25|80, dated 14-1-1981.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985